

31/1/24

प्राची की मृत्यु
हो चुकी है।

प्राची का पत्र आगे
चलाना नहीं
चाहते।

वकील प्राची उपस्थित। प्राची के
निवेदन पर मूल दावा खारिज हो चुका
है। यह प्राची का पत्र भी जागे नवी-चलाना
चाहते। कतः वकील प्राची के निवेदन पर
यह प्राची का पत्र इसी स्तर पर खारिज
किया जाता है।

पत्रावली निष्पत्ति से शुभार की जाकर
नम्बर से काट हो तथा मूल दावा के
संलग्न हो।

उपखण्ड अधिकारी

तारानगर (घूरु)